




कम संख्या ... 5419 ... ता. 4-10-2017
 नाम ... रिमडी ... सिमडेगा
 ग्राम ... पिबुरा ... सिमडेगा
 जिला ... सिमडेगा ... सिमडेगा
 मूल्य ...
 महाशय ...
 मिला कर दिया
 हस्ताक्षर जनश्याम महतो



जनश्याम महतो
 (मुद्रांक विक्रेता)
 सिमडेगा कोर्ट (सिमडेगा)
 अनुज्ञापि संख्या 5/96

साक्षर विज्ञान

4.10.17



04-10-17 10 to



महोदय को सूचित है कि ...
 ...
 ...

साक्षर विज्ञान
 ...
 ...
 ...

जनश्याम महतो

{2} लेखधारिणी:- श्रीमती स्मिता तिमगा पति श्री मुकेश लकड़ा
पति- उराँच, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- पिथरा माधघाट,
धाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 6160 3554 5298

.. भारतीय नागरिक .. श्रेणिका ।

समय-पत्र संख्या:- 366/2017

फॉर्म 60

{3} लेखप्रकार:- विक्रय पत्र देवाना बैला कसानी पुत्र पुत्रादिप
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

{4} मूल्य:- मोबाइल पाँच लाख सत्तर हजार रुपये अर्थात् 5,70,000/-
रुपये होता है ।

{5} सम्मति:- सरावियात अन्दर मौजा- गोतरा ठाकुरटोली,
कार्ड नं० 2, हॉलिंग नं० 0020000084000 स्न.0, धाना-
सिमडेगा, धाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वी जिला-
सिमडेगा के खाता नं० 120 [एक सौ बीस] प्लॉट नं० 4992
[अवाप्त सौ बीस] रकबा 0.09 एकड़ में से 0.10 एकड़
[दस द्वािंशत] आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का
मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौड्डी:-

उत्तर:- चौरा बैजामिन सक्का,

दक्षिण:- पी.सी.सी. पथ 10 फीट चौड़ा,

पूरुब :- इसी प्लॉट पर कच्चा रास्ता 6 फीट चौड़ा नीज विक्रेता,

पश्चिम:- चौरा नीज विक्रेता ।

मातृभूजारी 7 पैसा [सात पैसा] आवे रेत खाना ।

15040/120/111
71.01.17

अब्राहम किराडी
व.व. के.वी.न.किराडी
1111-1111-1111

§ 18] चूंकि मुझ लेख्यकारी को बीगारी का इलाज कराने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपये की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैं लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

§ 20] इसलिए मैं अपनी इच्छा से शरीर वी मराने की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक वकाल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§ 21] मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित, बिक्रीत जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे पिता सिरिल उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात् हम श्यादों के मध्य जमीन का आपसी मौखिक बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे नीज हिस्से एवं दखल कब्जे की जमीन है जिसपर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वाद विवाद नहीं है । जमीन का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज मेरे नाम से एवं मेरे श्यादों के नाम से हो चुका है । दाखिल खारिज वाद संख्या 96 आर 27/03-04 है, पंजी II के भोल्युम संख्या । के मूळ संख्या 252 में जमाबंदी कायम है । मालगुजारी रसीद संख्या 1490184261 वर्ष 16-17 तक जेरोम उराँव वगैरह के नाम से निगत है । खतियान में

सिंह
राजेश

जमीन कायमी दर्ज है तथा लगान पानेवाले का नाम मैजिस्ट्रेट इन्कवर्ज स्टेट मीन जॉनिब टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद विक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाह्वर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका बाद संख्या 78/2017-18 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 16.9.17 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 777/111 दिनांक 16.9.17 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो बख्तकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लाये वो झारखण्ड सरकार वजरिये अर्थात् अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मात्तुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैन कलाभी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।


उक्त विक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजहुरा के तहत नहीं है ।

10/9/17

श्रीनिवास
4.10.17

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो
बचत जमीन सिविलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सज्जद कुमार मल्होत्रा
4.10.17



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के
बायें हाथ का पांचां अंगुलियों का दाप
मेरे समक्ष लिया गया ।

सज्जद कुमार मल्होत्रा
अधिकृत
4.10.17

सज्जद कुमार मल्होत्रा

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो
जरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिविलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Smrita Tiggae
4.10.17



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी
के बायें हाथ का पांचां अंगुलियों का
दाप मेरे समक्ष लिया गया ।

सज्जद कुमार मल्होत्रा
अधिकृत
4.10.17

उक्त पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं अको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महां
अधिकारी
प्रारूपकर्ता
4.10.17
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल
छः पन्नों का है जो छण्डा रक्ति को नक्सा सहित है ।

टंक
मा. 25-9-2017
मो. मकसूद
कचहरी पैरिसर,
समझा ।

संलग्नक:-

1. विक्रेता, प्रेता एवं पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. जतियान का सत्यापित प्रति,
3. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
4. शेड्यूल का मूल प्रति,
5. अधेश एवं अंकन रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
6. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,

सही

मा. 4.10.17

4.10.17